

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर 2015— आश्विन 1, शक 1937

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-40/2009/18. — विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-12-2009 द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार नगर पंचायत, विश्रामपुरी का गठन किया गया था.

2. राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर पंचायत, विश्रामपुरी को तत्काल प्रभाव से विघटित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-40/2009/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2009/18, दिनांक 21-09-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 21st September 2015

NOTIFICATION

No. F 1-40/2009/18. — By the departments Notification Dated 22-12-2009 in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961) Nagar Panchayat, Visharampuri was constituted.

2. In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5-A of Chhattisgarh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961) The State Government hereby decompose Nagar Panchayat, Visharampuri with the immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451-ब ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2015— भाद्रपद 5, शक 1937

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-40/2009/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, नगर पंचायत विश्रामपुरी में सम्मिलित ग्राम जीरापारा, खरगांव, वीरापारा एवं फरसाडीह की सीमा को नगर पंचायत विश्रामपुरी की सीमा से पृथक करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 1-40/2009/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2009/18, दिनांक 27-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 27th August 2015

## NOTIFICATION

No. F. 1-40/2009/18. — In exercise of the powers conferred by section 5-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1996 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby denotify the limits of village Jecrapara, Kharagon, Beerapara and Farsadli from the existing limits of Nagar Panchayat Vishranpuri.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.





कार्यालय कलेक्टर कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

// झापन //

क्रमांक / 01/अ-3/2015-16  
प्रति,

कोण्डागांव, दिनांक 13.04.2016

सचिव,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन,  
नया रायपुर.

विषय :- ग्राम विश्रामपुरी तहसील बड़ेराजपुर जिला कोण्डागांव के पारा/टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला कोण्डागांव अनुभाग केशकाल तहसील बड़ेराजपुर के ग्राम विश्रामपुरी में नगर पंचायत विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव द्वारा परिषद् बैठक दिनांक 13.07.2015 को विशेष सम्मेलन आयोजित कर नगर पंचायत विश्रामपुरी को 04 ग्राम पंचायतों में नियमानुसार गठन किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया गया है, तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 474 रायपुर, बुधवार, दिनांक 23.09.2015 के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2009/18, रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क. 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर पंचायत विश्रामपुरी को तत्काल प्रभाव से विघटित किये जाने के फलस्वरूप नायब तहसीलदार बड़ेराजपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) केशकाल से ग्राम विश्रामपुरी को 07 ग्रामों में विभाजन किए जाने की अनुशंसा अनुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला कोण्डागांव तहसील बड़ेराजपुर के प0ह0न0 03 विश्रामपुरी के ग्राम विश्रामपुरी को विभाजित कर 07 राजस्व ग्राम घोषित किए जाने बाबत अधिसूचना जारी किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

*Sw*  
कलेक्टर,  
जिला कोण्डागांव  
13/04/2016

पृ०क्रमांक/ 01/अ-3/2015-16

कोण्डागांव, दिनांक 13.04.2016

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/ वन विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग/भू-अभिलेख, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
5. वन संरक्षक, वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल /राहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, जिला कार्यालय कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी (रा) केशकाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. तहसीलदार, बड़ेराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*[Signature]*  
कलेक्टर, 13/04/2016

जिला कोण्डागांव



1572 887 31/11/18 DDCO Ad(cum)

## कार्यालय कलेक्टर एवं बन्दोबस्त अधिकारी, जिला कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)

// अधिसूचना //

कोण्डागांव, दिनांक 13 / 04 / 2016

क्रमांक 01/अ-3/2015-16 - यतः जिला कोण्डागांव अनुभाग केशकाल तहसील बड़ेराजपुर के ग्राम विश्रामपुरी में नगर पंचायत विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव द्वारा परिषद् बैठक दिनांक 13.07.2015 को विशेष सम्मेलन आयोजित कर नगर पंचायत विश्रामपुरी को 04 ग्राम पंचायतों में नियमानुसार गठन किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया गया है, तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 474 रायपुर, बुधवार, दिनांक 23.09.2015 के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2009/18, रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क. 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर पंचायत विश्रामपुरी को तत्काल प्रभाव से विघटित किये जाने के फलस्वरूप नायब तहसीलदार बड़ेराजपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) केशकाल से ग्राम विश्रामपुरी को 07 ग्रामों में विभाजन किए जाने की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बन्दोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित पारा/टोला इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम में सम्मिलित पारा/टोला का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	विश्रामपुरी-अ	1. आमाडिही 2. डिहीपारा 3. आयपुरडिही 4. जंगलपारा	1459.755	उत्तर- रोगाडिही दक्षिण- विश्रामपुरी(बांधपारा)-ब पूर्व - पेन्द्रावन, पिटेचुवा पश्चिम- खरगांव	03 विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	कोण्डागांव

1572 10/4/2016

	विश्रामपुरी (बांधपारा)-ब	1. कुम्हारपारा 2. बांधपारा 3. शिवमंदिरपारा	70.877	उत्तर- विश्रामपुरी-अ दक्षिण- फरसाडिही पूर्व - पेन्ड्रावन पश्चिम- बीरापारा	03 विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	कोण्डागांव
3	खरगांव	1. खरगांव 2. पुजारीपारा	276.035	उत्तर- आमागुहान दक्षिण- बीरापारा पूर्व - विश्रामपुरी-अ पश्चिम- जिरापारा	03 विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	कोण्डागांव
4	जिरापारा	1. जिरापारा 2. रावनागुड़ा	236.741	उत्तर- आमागुहान दक्षिण- बीरापारा पूर्व - खरगांव पश्चिम- कोरोहबेड़ा	03 विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	कोण्डागांव
5	फरसाडिही	1. फरसाडिही 2. बावनपुरी	428.033	उत्तर- विश्रामपुरी (बांधपारा)-ब दक्षिण- खजरावंड पूर्व - भैनपुरी, होनावंडी पश्चिम- सोनपुर	03 विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	कोण्डागांव
6	बीरापारा	1. बीरापारा 2. गरांजीडिही 3. डिहीपारा 4. मुण्डापारा 5. हल्बापारा	729.512	उत्तर- खरगांव, जिरापारा दक्षिण- फरसाडिही पूर्व - विश्रामपुरी (बांधपारा)-ब, विश्रामपुरी-अ पश्चिम- कोर्गेरा	03 विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	कोण्डागांव

543  
13/04/2016



रोगाडिही	1. रोगाडिही	67.230	उत्तर- खल्लारी दक्षिण- विश्रामपुरी-अ पूर्व - पिटेचुवा पश्चिम- खरगांव	03 विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	कोण्डागांव
----------	-------------	--------	---	-------------------	------------	------------



*Signature*  
13/04/2016  
कलेक्टर एवं बंदोबस्त अधिकारी,  
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

# Office of the Collector & Settlement Officer, District Kondagaon (C.G.)

//NOTIFICATION//

Kondagaon dated. 13/04/2016

No. 01 / A-3/2015-16 Whereas, the Resolution of division of Nagar Panchayat Vishrampur, Tehsil-Baderajpur, Sub Division - Keshkal District- Kondagaon, into 4 Gram Panchayats has been passed through Special meeting of Parishad dated 13-07-2015. The Urban Administration and Development department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur as per the Chhattisgarh Gazette Notification No 474, Raipur, dated 23.09.2015 Wednesday, in its department notification No. F 1 - 40/2009/18 Raipur, dated 21.09.2015, in exercise of its powers conferred by sub section (1) of Section 5-A of Chhattisgarh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961) decided to decompose Nagar Panchayat Vishrampur with immediate effect. In lieu of this order, the Nayab Tehsildar, Baderajpur and SDO (Revenue) Keshkal has recommended the division of Gram Vishrampur into 7 villages.

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven 1/2013 dated 01/01/2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that Para/Tola's shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification namely :-

S. NO.	Name of village	"Para"/"Tolas" included in village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of village	Patwari Halka Number	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Vishrampur-A	1- Aamadihi 2- Dihipara 3- Aaypurdihi 4- Jangalpara	1459.755	North - Rogadihi  South - Vishrampur (Bandhpara)-B  East- Pendraavan, Pitechuva  West - Khargaon	03 Vishrampur	Vishrampur	Kondagaon

*Sw*  
10/4/2016



	Vishrampur (Bandhpara)-B	1- Kumbharpara 2- Bandhpara 3- Shivmandir Para	70.877	North - Vishrampur-A South - Pharsadihi East- Pendraavan West - Birapara	03 Vishrampur	Vishram puri	Kondagaon
3	Khargaon	1- Khargaon 2- Pujaripara	276.035	North - Aamaguhan South - Birapara East- Vishrampur-A West - Jirrapara	03 Vishrampur	Vishram puri	Kondagaon
4	Jirrapara	1- Jirrapara 2- Ravatiguda	236.741	North - Aamaguhan South - Birapara East- Khargaon West - Korohbeda	03 Vishrampur	Vishram puri	Kondagaon
5	Pharsadihi	1- Pharsadihi 2- Bavanpuri	428.033	North - Vishrampur (Bandhpara)-B South - Khajrawand East- Mainpuri, Honawandi West - Sonpur	03 Vishrampur	Vishram puri	Kondagaon
6	Birapara	1- Birapara 2- Garanjidihi 3- Dihipara 4- Mundapara 5- Halbapara	729.512	North - Khargaon, Jirrapara South - Pharsadihi East- Vishrampur (Bandhpara)-B, Vishrampur-A West - Kongera	03 Vishrampur	Vishram puri	Kondagaon

*Signature*  
10/12/16



Rogadihi	Rogadihi	67.230	North - Khallari South - Vishrampur-A East- Pitechuva West - Khargaon	03 Vishrampur	Vishram puri	Kondagaon
----------	----------	--------	--	------------------	-----------------	-----------



*Sudh*  
13/04/2016  
Collector & Settlement Officer,  
District Kondagaon (C.G.)